

प्रेषक,

हरिप्रसाद,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट) कन्नौज।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
जनपद कन्नौज।

विषय-उ0प्र0 शासनादेश सं-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024
दिनांकित 28.06.2024 के क्रम में नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) के स्थान
पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने के
सम्बन्ध में आवेदन पत्र।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) प्रारम्भिक परीक्षा 2003 हेतु रोजगार समाचार पत्र दिनांकित-22-28 नवम्बर 2003 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 के अनुक्रम में उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 द्वारा निर्गत विज्ञापित संख्या-2430/दो-4-06-32(1)/2001टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2006 द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जू0डि0) के पद पर हुई है। प्रार्थी द्वारा सिविल जज (जू0डि0) के पद पर जनपद न्यायालय सुल्तानपुर में दिनांक 30.06.2006 की पूर्वान्ह में कार्यभार ग्रहण किया गया।

प्रार्थी द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के क्रम में नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी को नवीन पेंशन योजना (N.P.S.) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) का लाभ प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित आदेशित करने की कृपा करें। रोजगार समाचार पत्र एवं विज्ञापित की छायाप्रति श्रीमान जी के समक्ष सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सादर।

दिनांक-12.07.2024

भवदीय,

Hariprasad
12/07/24

(हरिप्रसाद)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश,(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
कन्नौज।

जी0ओ कोड सं-यू0पी0 6489

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक-

विकल्प पत्र

1. नाम- हरि प्रसाद (HARI PRASAD)
2. वर्तमान पदनाम- उपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
3. वेतनमान- रु० 1781500 (मूल वेतन)
4. वर्तमान विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- उत्तर प्रदेश सरकार
6. विज्ञप्ति की तिथि- उ०प्र.लौ.से०आ विज्ञप्ति सं०- २-२/ई-१/२००३ दि० २३/११/०३
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- उ०प्र० शासन द्वारा निगति विज्ञप्ति दि० 26/05/06
8. योगदान की तिथि- 30/06/2006 पूर्व-ई
9. जन्म तिथि- 16/10/1968
10. सेवानिवृत्ति की तिथि- 31/10/2028

मैं हरि प्रसाद (HARI PRASAD) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री टैक लाल (TAK LAL) शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना ()/नवीन-पेंशन योजना () में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
की विज्ञप्ति सं०- २-२/ई-१/२००३
शौजगा यमाचार सालाना हेतु
(२२-११-२००३) के अधीन ()
मैं हरि प्रसाद पदनाम उ०प्र० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कन्नौज

हस्ताक्षर HARI PRASAD 11/07/24
नाम HARI PRASAD
पदनाम- उ०प्र० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कन्नौज

करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर HARI PRASAD 11/07/24
नाम HARI PRASAD
पदनाम- उ०प्र० जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कन्नौज

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री/श्रीमती हरि प्रसाद पदनाम उपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ()/नई पेंशन योजना () में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

As Kum
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।